

**खण्ड १०) सङ्ख्या ५ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मिति २०८३/०५/०१**

**देहायः**

अनुसूची-२

(दफा ८ को उपदफा (१), (३) र (४) सँग सम्बन्धित)

**निजी सचिवालय र स्वकीय कर्मचारी सुविधा**

| क्र. सं. | सुविधाको किसिम                               | इकाई दर | सभामुख | उपसभामुख | विपक्षी दलको नेता | सभापति/सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक/दलको नेता/दलको प्रमुख सचेतक | सत्ता पक्षको सचेतक/ विपक्षी दलको सचेतक | सदस्य |
|----------|----------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| १        | स्वकीय सचिव (रा.प. द्वितीय श्रेणी वा सो सरह) | जना     | १      | -        | -                 | -                                                                                      | -                                      | -     |
| २        | स्वकीय सचिव (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह)   | जना     | -      | १        | १                 | -                                                                                      | -                                      | -     |
| ३        | प्रेस संयोजक (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह)  | जना     | १      | -        | -                 | -                                                                                      | -                                      | -     |

**खण्ड १०) सङ्ख्या ५ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मिति २०८३/०५/०१**

|   |                                                           |                 |       |      |      |      |      |   |
|---|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|---|
| ४ | स्वकीय सहायक (कम्प्यूटर अपरेटर, रा.प.अनं प्रथम वा सो सरह) | जना             | १     | -    | -    | -    | -    | - |
| ५ | स्वकीय सचिव (रा.प.अनं प्रथम वा सो सरह)                    | जना             | -     | -    | -    | १    | १    | १ |
| ६ | ह.स.चा. (प्रथम स्तर)                                      | जना             | १     | १    | १    | १    | -    | - |
| ७ | स्वकीय सहयोगी (कार्यालय सहयोगी प्रथम सरह)                 | जना             | १     | १    | १    | १    | -    | - |
| ८ | नीजि सचिवालय बन्दोबस्त                                    | प्रति महिना रु. | २०००  | १७५० | १७५० | १७५० | १२०० | ० |
| ९ | अतिथि सत्कार                                              | प्रति महिना रु. | १०००० | ५००० | ५००० | ३००० | ३००० | ० |

**द्रष्टव्यः**

१. पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएमा स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुने।
२. स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक शुरू तलब स्केल हुनेछ।
३. एकै व्यक्ति बहुपदमा भएमा एउटा पदको मात्र सुविधा प्राप्त हुनेछ।
४. दफा ६ बमोजिम सवारी साधन र सवारी चालक उपलब्ध भएमा दोहोरो पर्ने गरी सवारी साधन र सवारी चालकको सुविधा प्राप्त हुने छैन।

खण्ड १०) सङ्ख्या ५ प्रदेश राजपत्र भाग ३ मिति २०८३/०५/०१

५. स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा निजहरूको बैंक खातामा उपलब्ध गराइने छ।
६. स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति हुने कर्मचारीको योग्यता प्रचलित कानून बमोजिम हुनु पर्नेछ।

.....  
आज्ञाले

वीरेन्द्र बहादुर के.सी.

कानून सचिव

---

आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, राप्ती उपत्यका (दिउखुरी), नेपालमा मुद्रित।

मूल्य रु. ५।-